

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा

दिनांक: 28/7/23

क्रमांक: एफ(0)तक0- / उवसं / 2023-24 / 6714

निमित्त:-

मुख्य वन संरक्षक  
कोटा।

विषय :- Construction of approach road to foosed mataji FP/IU/ROAD/152647/2022

संदर्भ :- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान का पत्रांक 6288 दिनांक 31.05.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्न अनुसार कर प्रेषित है।

क्र. सं.	आक्षेप	पूर्ति
1	संलग्न के 0एम0एल0 फाइल में वन भूमि का सीमा विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	यूजर एजेंसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
2	संलग्न डी०जी०पी०एस० मेप में गैर वन भूमि का खसरा संख्या 510 गैर वन भूमि में दर्शाया जाये	यूजर एजेंसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्गों में एलायमेंट 2 में वन भूमि 0.4920 है० आती है तो उस मार्ग के प्रस्ताव का चयन नहीं करने के कारण स्पष्ट किये जाये।	यूजर एजेंसी ने अवगत कराया है, कि प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्ग में एलायमेंट 02 में न्यूनतम वन क्षेत्र 0.683 हेक्टर आता है।
4	प्रस्तावित मार्ग में गैर वन भूमि में मकान आदि आना दृश्यमान है जबकि प्रस्ताव में कोई विस्थापन होना नहीं दर्शाया गया है।	यूजर एजेंसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
5	खसरा अनुसार रिपोर्ट में 260 ने का खसरा वन विभाग के नाम नहीं है।	उक्त प्रस्ताव से संबंधित नहीं है।
6	उप वन संरक्षक द्वारा वन भूमि का विधिक अस्तित्व प्राइवेट राजस्व लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्र वन विभाग की खातेदारी में है।	रक्षित वन कर दिया गया है।
7	यूजर एजेंसी उक्त ग्राम में प्राप्त वन / गैर वन भूमि को पृथक पृथक रंग से दर्शाया जाकर आसपास की सीमा बतायी जाये।	यूजर एजेंसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट 1 के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	कार्य आयोजना संलग्न कर दी गई है।
9	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट 1 के बिन्दु संख्या में वन्यजीव की उपस्थिति का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	पूर्ति कर दी गई है।
10	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उससे संबंधित दस्तावेज यथा 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, डी०जी०पी०एस० मेप एवं जी०टी० शीट में प्रत्येक उपर्युक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये	अपलोड कर पूर्ति कर दी गई है।
11	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि 0.41 ई0 हेतु किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 0.59 ई0 है।	संशोधन कर दिया गया है।
12	वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।	अपलोड कर दिया गया है।
13	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा नहीं की गयी है।	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में अनुशंसा कर दी गई है।

भुवदीय

(जयराज पाण्डेय)

उप वन संरक्षक

कोटा।